संख्या- पी-20 /14-2-2017-800(15)/2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

TC

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 21 अप्रैल 2017

विषय:- एटा-अलीगंज मार्ग (एमडीआर-98) किमी0 चैनेज 23.978 की बायीं पटरी पर ग्राम सोसा के गाटा सं0-680 स में आई0ओ0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07291 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1737/एटा/19809/2016 दिनांक 20-02-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में निम्न 02 बिन्दुओं पर आख्या सहित संगत अभिलेख अपेक्षित है:-

1. क्या प्रस्तावित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 11-7-2014 में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया गया है।
2. प्रस्ताव में रक्षित उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिसम्बर 2016 में ही समाप्त हो चुकी है।

कृपया तदनुसार अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 281 /एटा/19809/2016, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 25, 2017

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, एटा को इस आशय से प्रेषित कि शासन द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, एटा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई0एस0 अशोक कुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।